"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2007—वैशाख 21, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

RAJ BHAVAN, RAIPUR

Raipur, the 25th April 2007

ORDER

(Under clause (1) of Article 192 of the Constitution of India)

No. F 107/RB/SA/07.—A petition dated 3rd April 2006 by Shri Subhash Chandra Keshwarwani Secretary Om Shanti Samiti, Shivrinarayan, district Janjgir-Champa, seeking disqualification of Shri Mahant Ram Sunder Das, Member of Chhattisgarh Legislative Assembly, under sub clause (a) of clause (1) of article 191 of the Constitution of India, was submitted to Governor of Chhattisgarh.

2. By reference dated 23rd May 2006 under clause 2 of article 192 of the Constitution, the opinion of Election Commission of India on the question as to whether the above mentioned Member of Chhattisgarh Legislative Assembly had become subject to disqualification under sub clause (a) of clause (1) of article 191 of the Constitution, was

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित.

sought. The Election Commission of India has given its opinion that in view of the well settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Shri Mahant Ram Sunder Das, Member of Chhattisgarh Legislative Assembly, being a case of pre-election disqualification, if at all, can not be raised before, or decided by, the Governor of Chhattisgarh under clause 1 of article 192 of the Constitution and that the present petition is, therefore, not maintainable before the Governor of Chhattisgarh.

3. I, E. S. L. Narasimhan, Governor of Chhattisgarh, after taking into account all relevant material facts and the opinion of the Election Commission as aforesaid, do hereby decide that the above petition of Shri Subhash Chandra Kesharwani is not maintainable under Article 192 (1) of the Constitution and therefore the petition is rejected.

Sd/-
E. S. L. NARASIMHAN,
Governor of Chhattisgarh.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-01-01/2007/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-4-2007 द्वारा श्री सुनिल कुजूर, भा. प्र. से. (1986), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं सचिव, जल संसाधन विभाग को महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-01-01/2007/एक/2.—डॉ. पी. राघवन, भा. प्र. से. (सीजी-1971) को आदेश क्रमांक ई 2-16/2004/एक/2, दिनांक 03-10-2006 के द्वारा निलंबन से बहाल कर उनको अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. डॉ. राघवन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत संचालक, आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2007

क्रमांक 974/657/2007/1/2.—इस विभाग का आदेश दिनांक 10-04-2007 द्वारा श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से. कलेक्टर, कोरबा को दिनांक 30-04-2007 से 11-05-2007 तक (12 दिवस) का स्वीकृत अर्जित अवकाश में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 07-05-2007 से 18-05-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 06, 19 एवं 20 मई, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

क्रमांक/ई 04-03/2006/एक/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 23 अप्रैल, 2007 से 15 जून, 2007 तक लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में आयोजित प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया गया है. श्री विश्वकर्मा के उक्त प्रशिक्षण अवधि में श्री डी. डी. सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, राजनांदगांव के कार्य को भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 09-05-2007 से 23-05-2007 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-7/06/2005/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 05-04-2007 द्वारा श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 02-04-2007 से 10-04-2007 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री राधाकृष्णन को दिनांक 11-04-2007 को एक दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-1/दो/गृह/07.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "दाण्डिक प्रथम प्रश्न-पत्र" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) द्वितीय प्रश्न-पत्र विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. मनीषा डहरिया	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर द्वितीय में उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	कु. रोक्तिमा राय	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

3.	कु. रजनी भगत	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
4.	सुश्री सुनीता केशरवानी	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर
5.	श्री धनपत लाल धृतलहरे	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर द्वितीय में उच्चस्तर
6.	श्री अखिलेश कुमार विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर द्वितीय में उच्चस्तर
7.	श्री दिलजीत सिंह भट्टी	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर द्वितीय में सश्रेय
8.	श्री अशोक कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर द्वितीय में उच्चस्तर
9.	श्री ओम प्रकाश चौधरी	सहा. कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
10.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	सहा. कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर
11.	कु. सन्तन देवी जांगड़े	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय
12.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

13.	कु. गीता रायस्त	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर

निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न-पत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है.

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री राजकिशोर वर्मा	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	प्रथम में निम्नस्तर
2.	श्री संजय कन्नौजे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

3.	श्री जवाहर सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर
4.	श्री हीरालाल देवांगन	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

5.	श्री भगवान सिंह उइके	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर
6.	श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव खरे	अधीक्षक	द्वितीय में उच्चस्तर
7.	श्री बिहारी लाल जुर्री	अधीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-18/दो/गृह/07.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्रीमती नेहा चम्पावत	एस. डी. ओ. पी.
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री अजय कुमार यादव	सहायक पुलिस अधीक्षक (IPS)
3.	श्री अंकित कुमार गर्ग	सहायक पुलिस अधीक्षक
4.	श्री बद्री नारायण मीणा	सहायक पुलिस अधीक्षक (IPS)

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-25/दो/गृह/07.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री लालसाय निराला	सहायक महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
2.	कु. रेनू प्रकाश	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-33/दो/गृह/07.—मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र 'लेखा' प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सतीश कुमार अहिरवार	सहायक संचालक	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
2.	श्री देव कुमार सिंह	सहायक संचालक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-42/दो/गृह/07.—ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा व स्थापना प्रश्न-पत्र-4" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री सी. एस. खान्डे	सहायक अभियंता (वि. सु.)

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-12/दो/गृह/07.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. नीलमणी टोप्पो	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय
2.	कु. मीना मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय
3.	सोनिया नायक	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
4.	श्री सुनील चौधरी	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
5.	कु. भावना नेताम	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
6.	श्री अजय कुमार देवांगन	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय
7.	श्री गोपाल वर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
8.	श्री छतराम महिलांगे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-27/दो/गृह/07.—उत्पाद शुल्क आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. शीला बड़ा	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
2.	श्री आदित्य शर्मा	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
3.	श्री अरविन्द्र कुमार वानी	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
4.	श्री गोपाल प्रसाद साहू	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
5.	श्री रविकांत जायसवाल	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
6.	श्री विजय कुमार तम्बोली	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
7.	श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
8.	श्रीमती समिधा पाण्डेय	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
9.	कु. निष्ठा पाण्डेय	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
10.	कु. अंजली श्रीवास्तव	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
11.	श्री सुनील कुमार	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
12.	श्री जनार्दन सिंह कौरव	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
13.	श्री उमेश कुमार अग्रवाल	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
14.	श्री लक्ष्मीकान्त गायकवाड़	आबकारी उप निरीक्षक	उच्चस्तर
15.	श्री शशि कला पैकरा	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय
16.	श्री मदन लाल ठाकुर	आबकारी उप निरीक्षक	निम्नस्तर
17.	श्री राजेश कुमार शर्मा	आबकारी उप निरीक्षक	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-6/दो/गृह/07.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक पत्र क्रमांक-दिनांक 18-04-2007 द्वारा "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र भाग-ए, बी, सी, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र" विषय के परीक्षा केन्द्र रायपुर के सरल क्रमांक-23 पर "कु. रोक्तिमा राय, डिप्टी कलेक्टर प्रथम में सश्रेय, द्वितीय में उच्चस्तर" के स्थान पर "कु. रोक्तिमा राय, डिप्टी कलेक्टर प्रथम में सश्रेय, तृतीय में उच्चस्तर" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-17/दो/गृह/07.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री धनपतलाल धृतलहरे	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
2.	श्री अखिलेश कुमार विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
3.	श्री दिलजीत सिंह भट्टी	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
4.	कु. मनीषा डहरिया	नायब, तहसीलदार	निम्नस्तर
5.	श्री राज किशोर वर्मा	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
6.	श्री भगवान सिंह उइके	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-34/दो/गृह/07.—कृषि विभाग के कृषि कार्यपालिक प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) द्वितीय प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री योगेश कुमार मेश्राम	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर
2.	श्री संजय कुमार डहरिया	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
3.	श्री देवेन्द्र कुमार रामटेके	सहायक संचालक	उच्चस्तर
4.	श्री संतलाल	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर
5.	श्री दुरेश साय पैकरा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	उच्चस्तर
6.	श्री प्रहलाद सिंह कुसरों	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2007

क्रमांक 770/3034/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-112/2357/32/2006 दिनांक 18-01-2007 द्वारा बिलासपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

बिलासपुर विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तिफरा,	1	1.651	आवासीय	औद्योगिक
	प. ह. नं.-23	2	0.129		
		3/1	0.393		
		3/2	0.393		
		4	0.142		
		5	0.534		
		7/1	0.324		
		7/3	0.324		
		8	0.781		
		9	1.064		
		10/1	0.154		
		10/2	0.299		
		10/3	0.149		
		11	0.603		
		12/1	0.413		
		12/2	0.417		
		13	0.745		
		14/1	0.243		
		14/2	0.121		
		14/3	0.243		
		15/1 एवं 18/1	0.735		
		15/2 एवं 18/2	0.737		
		16	0.987		
		17	0.223		
		19/1 एवं 20/1	0.539		
		19/2	0.174		
		19/3 एवं 20/3	0.182		
		19/5 एवं 20/4	0.166		
		20/2	0.280		
		19/4 एवं 20/4	0.166		
		20/3	0.028		
		19/6 एवं 20/6	0.178		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		21	1.153		
		22/1	0.450		
		22/2	0.672		
		22/3	0.222		
		6	10.032		
		कुल योग	**26.463**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण बिलासपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से ( ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	अतरमुड़ा बड़े प. ह. नं. 13	0.688	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग सेतु निर्माण, बिलासपुर.	बायपास मार्ग पर जिंदल पंप हाउस के निकट केलो सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक/588/भू-अर्जन/राप्रक्र/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	भान्सी	279.54	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ. ग.)	मेसर्स एस्सार स्टील लिमि. छ. ग. के द्वारा एकीकृत स्टील प्लांट के स्थापना हेतु.

दंतेवाड़ा, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक/591/भू-अर्जन/राप्रक्र/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	धुरली	109.57	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ. ग.)	मेसर्स एस्सार स्टील लिमि. छ. ग. के द्वारा एकीकृत स्टील प्लांट के स्थापना हेतु ग्राम धुरली में भूमि अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक 3174 / भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा.	रिसदी	0.081	अधीक्षण यंत्री (सिविल) संभाग क्रमांक 3, कोरबा पूर्व.	राखड़ बांध हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2007

क्रमांक 18/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मुंगेली प. ह. नं. 6	0.255	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	रामगढ़ एनीकट के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2007

क्रमांक 607/प्र. 1/अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-सिब्दी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
74	0.08
549	0.17
547	0.29
548	0.16
577	0.02
योग	0.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अन्तर्गत बुड़ेना डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक/214/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दुर्गूकोंदल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
09/1	0.52
20	0.09
7/1	0.28
13	0.37
7/2	0.11
9/2	0.11
14	0.16
19	0.06
18	0.66
17/1	0.40
योग	2.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- पलाचूर तालाब के दायीं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक/217/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भण्डारडिंगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.07 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
68	0.16
94	0.18
95	0.39
100	0.40
74	0.03
101	0.44
193	0.23
64	0.24
योग	2.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पलाचूर तालाब योजना अन्तर्गत दायीं नहर निर्माण, बायीं नहर निर्माण एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक/220/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खुटगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
355/1	0.42
353	0.10
351	0.13
352	0.21
197/4	0.14
197/2	0.11
197/5	0.04
197/1	0.06
197/3	0.08
183	0.13
184	0.19
179	0.18
222/2	0.01
178/1	0.29
64	0.36
72	0.29
73	0.01
178/2	0.07
176	0.31
42	0.76
174	0.11
223	0.13
220	0.10
230	0.02
233	0.71
299	0.20
294	0.27
307	0.47
234	0.02
295	0.04
301	0.56
293	0.12
238	0.63
239	0.40
228	0.06
297	0.13
289	0.24
287	0.40

(1)	(2)
269	0.30
286	0.35
290	0.03
286	0.13
285/2	0.20
285/3	0.17
282/1	0.28
173	0.26
45	0.46
39	0.24
38/1	0.38
222/1	0.05
285/1	0.02
282/4	0.01
71	0.36
योग 53	11.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पलाचूर तालाब योजना अन्तर्गत दायीं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक/223/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
(ग) नगर/ग्राम-पलाचुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.02
3/2	1.10
21	0.10
3/1	0.52
53	0.29
योग	2.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पलाचूर तालाब योजना अन्तर्गत दायीं नहर निर्माण, बायीं नहर निर्माण एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

क्रमांक/226/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
(ग) नगर/ग्राम-पलाचुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82	0.06
81	0.05
79	0.01
70	0.11
73/1	0.09
46	0.15
39	0.22

(1)	(2)
50	0.46
53	0.17
योग	1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पलाचूर तालाब योजना अन्तर्गत दायीं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक 2723/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-माटरा खुज्जी, प. ह. नं. 68
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
15	0.15
16	0.45
20/1	0.61
35/1	0.02
35/2	0.29
36	0.03
42/1	0.18
42/3	0.21
283/3	0.14
42/2	0.36
45	0.32
215	0.03
265	0.45
262/2	0.05
263/2	0.10
263/3	0.08
264	0.11
223	0.15
261	0.13
234	0.02
262/1	0.20
284/2	0.13
262/3	0.05
278	0.02
283/2	0.14
284/1	0.13
344/2	0.13
344/3	0.05
344/4	0.07
344/5	0.11
343	0.02
342	0.35
381/1	0.33
381/2	0.57
396	0.06
397	0.28
400	0.54
377	0.02
47	0.07
286	0.13
42/4	0.12
51	0.02
56/1	0.08
56/2	0.11
73/2	0.22
73/1	0.02
73/3	0.01
74	0.10
75	0.50
88	0.06

(1)	(2)
89	0.04
योग 51	8.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राघोनवागांव जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 2724/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-पथरा नवागांव, प. ह. नं. 68
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
145/3	0.02
144/3	0.59
145/1	0.32
144/2	0.27
138	0.12
137	0.36
134/1, 4, 5	0.35
योग 07	2.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राघोनवागांव जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 2725/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-अरजकुंड, प. ह. नं. 68
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
317	0.14
318/2	0.14
318/3	0.14
322/1	0.07
322/2	0.05
322/3	0.03
319	0.16
320	0.05
321	0.26
270, 271/4	0.01
योग 10	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राघोनवागांव जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 2726/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-खैरागढ़
(ग) नगर/ग्राम-बैहाटोला, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
132/1	0.14
139/6	0.29
416	0.22
401/1	0.14
414	0.28
420	0.01
133	0.16
139/7	0.02
422	0.05
403/1	0.42
421	0.27
139/2	0.02
138	0.66
402	0.55
423	0.14
404	0.24
415	0.05
139/1	0.11
413	0.19
424	0.03
405	0.11
412	0.45
योग	4.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गंजीगंजा जलाशय अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 2727/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-खैरागढ़
(ग) नगर/ग्राम-मारूटोला, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.67 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
199/2	0.20
202	0.09
200	0.11
201	0.08
199/9	0.19
योग	0.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गंजीगंजा जलाशय अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 2728/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-गहिराटोला, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
20	0.24
17/1	0.12
15/4	0.01
47/1	0.19
51/1	0.01
19/2	0.11
11	0.05
15/2	0.10
47/2	0.18
50/3	0.13
18	0.49
16/5	0.13
15/1	0.03
48/1	0.13
17/3	0.19
16/3	0.03
50/2	0.02
49/3	0.02
योग	2.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गंजीगंजा जलाशय अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 2730/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस वात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पुरैना, प. ह. नं. 69/8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.33 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
35	0.10
36	0.12
39/2	0.09
37	0.12
38	0.11
39/1	0.10
62	2.13
383/1	0.38
413/1	0.33
385/1	0.96
385/2	0.35
386/2	0.40
386/4	0.21
408/1	0.34
503/2	0.25
411/1	0.57
411/2	0.74
384/1	0.40
348/2	0.40
448	0.65
451	0.52
449/1	0.08
449/2	0.12
450/1	0.53
452	0.40
921	0.17
430	0.20
383/2	0.37
413/2	0.19
योग 29	11.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय डुबान क्षेत्र में अर्जन के लिए.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 2731/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रुवातला, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.00 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
492/2	0.23
494/1	0.27
434	0.51
584/2	0.12
584/4	0.22
674/1	0.07
609	0.23
760	0.12
676	0.03
686	0.23
683/1+3	0.26
697/3	0.16
698/2	0.35
746	0.55
753/3	0.18
755	0.03
759/5	0.17
492/3	0.19
432	0.25
435/1	0.18
584/3	0.08
619/2	0.08
585	0.19
616	0.09
673	0.02
677	0.58
742	0.15
683/2	0.20
697/1	0.20
698/3	0.02
752/1	0.14
753/4	0.08
761	0.33
758	0.44
493/1	0.26
582	0.19
583/2	0.17
584/5	0.04
618	0.02
608	0.28
617	0.14
688	0.05
756/3	0.08
684	0.23
697/2	0.16
698/1	0.50
745	0.11
752/2	0.14
753/5	0.12
759/4	0.05
758	0.20
763/1	0.24
702	0.02
743/2	0.14
924/6	0.09
923/3	0.15
917	0.46
909/1	0.77
941	0.13
933/4	0.23
485/15	0.33
485/26	0.12
485/29	0.42
485/68	0.13
763/2	0.27
744	0.22
924/3	0.15
924/5	0.23
933/1	0.13
914/3	0.24
934	0.36
942/3	0.30
485/13	0.34
704/2	0.18
485/16	1.00

(1)	(2)
485/56	0.36
485/1	1.92
699	0.68
'704/1.1	0.10
924/2	0.08
674/4	0.09
915	0.06
914/4	0.24
0.38	0.30
935	0.04
485/38	0.18
485/22	0.23
485/56	0.37
485/28	0.01
योग 89	21.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खैरबना जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 2732/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मनकी, प. ह. नं. 69/8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.47 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
224/1	0.84
230/1	0.15
224/3	0.50
460/1	0.20
227	0.81
226/1	0.44
231/1	0.70
232/3	0.34
233/2	0.42
443	0.45
446/2	0.36
452/1	0.20
456/1	0.20
460/2	0.40
466	0.30
472/2	0.22
474/4	0.22
474/2	1.00
435/4, 435/5	0.80
447/2	0.39
483/4	0.56
483/7	0.22
483/16	0.19
483/14	1.05
484/1	0.25
486	0.37
453	0.23
455	0.50
483/8	0.16
योग 30	12.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2007

क्रमांक 10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-बिचारपुर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.81 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
24	0.10
135	0.06
2	0.16
25/2	0.30
26	0.12
2	0.42
130/2	0.10
131/1	0.65
475	0.13
2	0.78
131/2	0.02
131/3	0.20
136	0.25
137	0.23
138/1	0.08
140/2	0.65
140/3	0.06
5	1.27
151	0.54
152	0.30
440/2	0.06
441	0.03
2	0.09
442	0.06
443	0.02
462	0.04
2	0.06
444	0.41
461	0.25
463/1	0.06
463/3	0.05
2	0.11
463/2	0.11
463/4	0.11
468	0.51
468/2	0.19
2	0.70
473	0.29
474/1	0.08
474/2	0.04
477	0.06
478/1	0.25
2	0.31
479/1	0.09
479/3	0.31
योग 36	6.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिचारपुर डिंडोल डायवर्सन के नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2007

क्रमांक 9/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-सुकली, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.18 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
775/1	0.11
775/2	0.11
787	0.14
789	0.11
2	0.25
788	0.17
790	0.09
793/1+2	0.15
850/1+2	0.14
851	0.14
853/2	0.10
853/1	0.04
854	0.07
856	0.06
885	0.08
1117/1	0.04
1118	0.33
1119	0.05
1122	0.07
1123	0.11
1126/1	0.04
1126/2	0.03
1127	0.07
1128	0.08
1129	0.10
1130	0.21
1154	0.21
1179	0.17
1180/1	0.09
1185	0.03
1186, 1187	0.15
1189	0.10
1190	0.05
1191, 1192	0.11
1158	0.08
1159/1	0.10
2	0.18
1159/2	0.06
1161	0.03
1162	0.09
1163	0.08
1165	0.06
1166	0.06
1177/1	0.03
1178/1	0.04
2	0.07
योग 43	4.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- विचारपुर डायवर्सन नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष, बायलर चालन इंजिनियर परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़
जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2007

क्रमांक मुनिवा/परीक्षा/1461/2006.—सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ बायलर चालन इंजिनियर नियम, 1968 के अंतर्गत बायलर चालन इंजिनियरिंग में प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 21, 22 एवं 23 जून-2007 को मेसर्स स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.) में आयोजित की गई है. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"अ") इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4 × 10 इंच साईज का लिफाफा जिस पर रुपये 10.00 (रुपये दस मात्र) के डाक टिकिट लगे हो, भेजकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-"अ") की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-अ) केवल डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र-"अ" पर संपूर्ण विवरण के साथ भाग-IV में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सचिव, बायलर चालन इंजिनियर परीक्षक मंडल, कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर 492001 में दिनांक 21 मई, 2007 तक या उसके पूर्व पहुंचने चाहिये.

पात्रता :-

स. क्र.	शैक्षणिक योग्यता	कार्य अनुभव	टीप
1.	बी. ई. मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल	02 वर्ष	बैटरी में जुड़े कम से कम दो बायलरों (प्रत्येक की रेटिंग 93 वर्गमीटर या अधिक) या एकल बायलर (रेटिंग 1000 वर्ग मीटर या अधिक) में कार्य अनुभव अनिवार्य है.
2.	डिप्लोमा मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल	06 वर्ष	
3.	बी. ई. केमिकल	05 वर्ष	
4.	बी. ई. मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल (एन. पी. टी. आई. एक वर्षीय पी. जी. डिप्लोमा के साथ)	01 वर्ष	

अविनाश भटनागर,
सचिव.

कार्यालय आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा
बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास, रायपुर छ. ग.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2007

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./07/555.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र./ई-1-1/2007/एक/2, दिनांक 10-04-2007 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम 9 के तहत आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया है. तदनुक्रम में मैंने आज दिनांक 12-4-2007 को पूर्वान्ह में आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर छत्तीसगढ़ का कार्यभार ग्रहण कर लिया है.

अतः समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व गोपनीय पत्रादि अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से संबोधित करने का कष्ट करें.

अजयपाल सिंह,
आयुक्त.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक 1089/नग्रानि/वि.यो./2007.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि रायगढ़ निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का (प्रारूप) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 26-03-2007 को प्रकाशन किया गया है और उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला-रायगढ़, आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ एवं सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 26-03-2007 से नगर पालिक निगम रायगढ़ के टॉउन हॉल में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है.

उक्त प्रारूप विकास योजना जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट की गई है.

उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ रायपुर प्रकाशन स्थल एवं सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ एवं उपरोक्त कार्यालय में छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

(1) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(2) प्रारूप योजना के उपबंधों को स्पष्ट करने वाले मानचित्रों तथा चार्टों इस प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(3) प्रारूप योजना की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथित करने वाला टिप्पणी जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्त की जाना है.

(4) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के खर्चों का तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वेलित कार्य के खर्चे का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाली टिप्पणी.

Raipur, the 24th March 2007

No. 1089/T&CP/2007.—Notice is hereby given that the Draft Development plan for Raigarh Planning Area will be published on 26-03-2007 in accordance with provisions of sub section (i) of section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy thereof is available for inspection at the Office of the Collector Distt. Raigarh, Commissioner Municipal Corporation Raigarh, Assistant Director Town and Country Planning Raigarh during office hours except holiday. An exhibition is also being organized from 26-03-2007at Town Hall Municipal Corporation Raigarh.

The particulars of the said Draft plan has been specified in the scheduled below.

If there is any objection or suggestion with respect to the draft plan, it should be sent to the Director Town & Country Planning Raipur or Assistant Director, Town & Country Planning Raigarh or may be submitted at the venue of exhibition within 30 day from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

1. The existing Land use maps and narrative report.
2. A narrative report supported maps and chart explaining the provision of the Draft Development Plan.
3. The Phasing of implementation of the Draft Development Plan. The Provision for enforcing the Draft Development plan and stating the manner in which permission to Development may be obtained.
4. An approximation of the cost of land acquisition for the public purposes and the cost of work involved in the implementation of plan.

एम. एस. बजाज,
संचालक

कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 16 अप्रैल 2007

क्रमांक 252/क/वित्त-स्था./2007.—एतद्द्वारा मैं एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पंजीयक लोक न्यास, छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा "34-क" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के अंतर्गत अनुविभाग सरायपाली एवं महासमुंद के लिए निम्नानुसार राजस्व पदाधिकारियों को पंजीयक, लोक न्यास की समस्त शक्तियां और कर्त्तव्य प्रत्यायोजित करता हूं :—

(1)	अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद	महासमुंद अनुविभाग
(2)	अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली	सरायपाली अनुविभाग

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

एस. के. तिवारी,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2007

क्रमांक 318/निप./मंडी नि./फा. नं. 82/अधि./2007.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) के खण्ड (ङ) के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र 21-बेमेतरा के अंतर्गत सहकारी विपणन समिति मर्यादित बेमेतरा से मंडी सदस्य के लिए नाम निर्दिष्ट हुए हैं, जो निम्नानुसार है :—

अनु. क्र.	मंडी का नाम	नाम निर्देशित सदस्य का नाम एवं पता
1.	21-बेमेतरा मंडी समिति	श्री भूपेन्द्र टिकरिहा, ग्राम-सिलघट, तहसील-बेमेतरा, जिला-दुर्ग.

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2007

क्रमांक 321/निप./मंडी नि./फा. नं. 82/अधि./2007.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) के खण्ड (त्र) के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र 20-दुर्ग एवं 22-बालोद के अंतर्गत जिला पंचायत दुर्ग से मंडी सदस्यों के लिए नाम निर्दिष्ट हुए हैं, जो निम्नानुसार है :—

अनु. क्र.	मंडी का नाम	नाम निर्देशित सदस्य का नाम एवं पता
1.	20-दुर्ग मंडी समिति	श्री भाईलाल डहरिया, आ. श्री ज़मुनालाल डहरिया, ग्राम- घिकुड़िया, पोष्ट त्रिरहोला, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग.
2.	22-बालोद मंडी समिति	श्री कृष्णाराम साहू, आ. विशालराम साहू ग्राम-पीपरछेड़ी, पोष्ट-चारवाही, तहसील-बालोद, जिला-दुर्ग.

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2007

क्रमांक 324/निप./मंडी नि./फा. नं. 82/अधि./2007.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र 20-दुर्ग, 21-बेमेतरा एवं 22-बालोद के अंतर्गत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित दुर्ग से मंडी सदस्यों के लिए नाम निर्दिष्ट हुए हैं, जो निम्नानुसार है :—

अनु. क्र.	मंडी का नाम	नाम निर्देशित सदस्य का नाम एवं पता
1.	20-दुर्ग मंडी समिति	डॉ. जयसिंह राजपूत ग्राम व पोष्ट-रहटादाह, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग
2.	21-बेमेतरा मंडी समिति	श्री गिरधर ताम्रकार, ग्राम-देवादा, पोष्ट-हरदा, तहसील-बेरला, जिला-दुर्ग
3.	22-बालोद मंडी समिति	श्री चेमन देशमुख ग्राम व पोष्ट-सुरेगांव, तहसील-डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग

सुब्रत साहू,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक क/सहा. ख. लि. 2/3-1/खुघो/2007/320/07.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिन पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प. ह. नं. (2)	तहसील (3)	खसरा नंबर (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
भसेरा	05	राजिम	452/1	5.00 एकड़	श्रीमती किरन अग्रवाल पति श्री महावीर अग्रवाल के पक्ष में ग्राम भसेरा प. ह. नं. 5 रा. नि. मं. व तहसील-राजिम के खसरा नंबर 452/1 रकबा 5.00 एकड़ क्षेत्र अवधि 18-4-2000 से 17-4-2010 तक स्वीकृत उत्खनिपट्टा निरस्त किया गया.
निसदा	148/50	आरंग	1340	1.20 एकड़	श्री राजकुमार टण्डन, आ. श्री भीखम टण्डन, निवासी नवागांव तहसील आरंग के पक्ष में ग्राम निसदा प. ह. नं. 148/50 रा. नि. मं. व तहसील आरंग के खसरा नंबर 1340 रकबा 1.20 एकड़ क्षेत्र अवधि 19-6-2002 से 18-6-2012 तक स्वीकृत उत्खनिपट्टा निरस्त किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बासीन	7	राजिम	848/1	0.80 एकड़	मेसर्स शिवशंकर स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रो. किशोर सचदेव निवासी बासीन, तहसील-राजिम के पक्ष में ग्राम बासीन प. ह. नं. 7 रा. नि. मं. व तहसील राजिम के खसरा नंबर 848/1 रकबा 0.18 एकड़ क्षेत्र अवधि 8-1-2001 से 7-1-2006 तक स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण निरस्त किया गया.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक 126 /खनि/07.—छ. ग. गौण खनिज नियम 1996 के नियम-12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बिलासपुर (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	खनिज	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिलासपुर	बिलासपुर	सेलर	875 880	2.38	चूनापत्थर	शासकीय

संजय गर्ग,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2007

याचिका क्र. 02-05/2007/580.—विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 55 में दिये गये प्रावधान के अनुसार कोई अनुज्ञप्तिधारी, नियत दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्, उचित मीटर स्थापित किये बिना विद्युत प्रदाय नहीं करेगा. यह अवधि 10 जून 2005 को समाप्त हो चुकी है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने राज्य में मीटरीकरण के वर्तमान स्तर, विभिन्न प्रकार के मीटरों की बाजार में उपलब्धता और मीटरों की प्राप्ति में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत अधिनियम में अपेक्षित शतप्रतिशत मीटरीकरण दिनांक 10 जून 2005 तक कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी. आयोग ने अधिनियम की धारा 55 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-4-2005 को सम्पूर्ण राज्य में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए मीटर स्थापित करने की अवधि को बढ़ाकर मार्च 2007 तक समय सीमा निर्धारित की थी. यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 20-5-2005 को प्रकाशित हुई थी.

छ. ग. रा. वि. ने आयोग से समक्ष दिनांक 09-03-2007 को एक याचिका यह कहते हुए प्रस्तुत की कि मण्डल द्वारा हर संभव प्रयास करने के बावजूद एक बड़ी संख्या में अमीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समुचित मीटरों के आवश्यक मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है. चूंकि लगभग 6.62 लाख मीटरविहीन संयोजनों को मीटरीकृत किया जाना है, इसलिए मण्डल ने उन सभी उपभोक्ताओं को जिन्हें मीटरीकृत किया जाना है, मीटर स्थापित करने हेतु समयावधि में मार्च 2009 तक की वृद्धि करने का निवेदन आयोग से किया है.

मंडल द्वारा उल्लेखित धीमी प्रगति के कारणों पर विचार कर तथा मार्च 2007 के अंत तक सभी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण पूरा करना संभव न होने के विचार से सहमत होकर, दिनांक 12-04-2005 को पारित अपने आदेश में सभी उपभोक्ताओं के पूर्ण मीटरीकरण की समयावधि में सितम्बर 2008 तक की वृद्धि करने हेतु आयोग, अपनी स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 2/2005 में पारित आदेश दिनांक 20-4-2007 में दिये गये विस्तृत विवरण के अनुसार, सहमत हुआ है.

Raipur, the 26th April 2007

Petition No. 2-05/2007/580.—Section 55 of the Electricity Act, 2003 (the Act) mandate that no licensee shall supply electricity after the expiry of two years from the appointed date, except through installation of a correct meter. This time period exprid on the 10th June 2005.

The Chhattisgarh State Electricity Board had informed the Commission about its inability to provide cent percent metering by 10th June 2005, as required in the Electricity Act, in view of the present level of metering in the state, availability of different types of meters in the market and the time likely to be taken in the procurement of meters. The Commission, in exercise of the powers vested in Section 55 (1) of the Act, granted extension of time for installation of meters for all consumer categories in the whole of the State upto end of March 2007 on 12-04-2005, which was notified in the Chhattisgarh Rajpatra on 20-05-2005.

The CSEB submitted a petition before the Commission on 09-03-2007, stating that in spite of all out efforts by the Board a large number of unmetered connections could not be provided meters. The slow progress was due to the unavailability of required quantities of appropriate meters as specified by the CEA. As about 6.62 Lakh unmetered connections are still to be metered, the Board requested the Commission to extend the time period for installation of meters to all consumers, who are yet to be metered, upto March 2009.

The Commission having considered the reasons for slow progress cited by the Board and having been convinced that it would not be possible to complete meterisation of all consumers by the end of March 2007 agrees to extension of time for full meterisation of all the consumers, as per the details given in its order dated 20-04-07 passed in suo-motu petition No. 2 of 2005, under the second proviso to section 55 (1) of the Act upto September 2008 further to the orders passed by the Commission on 12-04-2005.

आयोग के आदेशानुसार,
एन. के. रूपवानी, सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4th April 2007

No. 1493/A. R./SEC/HCLSC/2007.—In exercise of the powers conferred under sub-section (a) and (b) of Section 8-A of the Legal Services Authority Act, 1987, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'ble Shri Justice Dhirendra Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur as Chairman of the High Court Legal Services Committee, Bilaspur, with effect from 4th April 2007.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
AGRALAL JOSHI, Secretary.